/

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 341/2025

सुरेश शर्मा पुत्र बसेसर लाल जाति ब्राह्मण निवासी खुडाना तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राजस्थान।
अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं (राज.)
रेस्पोडेन्ट

—

प्रथम अपील अ. धारा 75 राज. भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत बखिलाफ तहसीलदार चिड़ावा द्वारा नामान्तकरण संख्या 3132 खारिज दिनांक 08.12.2025 ग्राम मण्ड्रेला तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

—

उपस्थितः–

1. श्री राजेन्द्र बुडानियां, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता– रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक 05.03.2026

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिड़ावा के आदेश दिनांक 08.12.2025 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। सक्षेप में तथ्य अपील के निम्नानुसार है :– नामान्तकरण सं. 3132 खारिज दिनांक 08.12.2025 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली होने से खारिज होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गलत रूप से भूमि खसरा न. 1179/340 की मौके की सीमा नहीं होने का आधारहीन तथ्य दर्ज कर अनुचित रूप से खारिज किया गया है। अपीलान्ट के हक में मूल खातेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान कर विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवाने के रोज कब्जा सुपुर्द किया गया था। नामान्तकरण संख्या 3132 में वर्णित भूमि पर वैध रूप से विक्रय पत्र करवाने के रोज से अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से जमीन की पटवारी हल्का से जांच पड़ताल करवाकर व अन्य खसरा न. 340 का उल्लेख कर अनर्गल आधार दर्ज कर अनुचित रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार परी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के हक में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 को कानूनन गलत खारिज किया गया है। जो कानूनन पोषणीय नहीं है इस कारण नामान्तकरण संख्या 3132 खारिज दिनांक 08.12.2025 अपास्त होने योग्य है। मूल नामान्तकरण परत में विवादित भूमि होना रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी कारण के मानकर पटवारी से मौका रिपोर्ट संलग्न करने का आदेश देकर पटवारी हल्का से स्वयं के पदीय प्रभाव में नामान्तकरण 3132 में वर्णित भूमि 1179/340 की कोई सीमा मौके पर नहीं होने व अन्य भूमि खसरा न. 340 जो उक्त नामान्तकरण 3132 में सम्मिलित भूमि नहीं है उस भूमि के प्रकरण व स्थगन की रिपोर्ट पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट में दर्ज करवाकर रेस्पोडेंट ने स्वयं के क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर बिना किसी न्यायोचित कानूनी आधार के अपीलान्ट के हक में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 को जमाबंदी में निरस्त नामान्तकरण संख्या 3132 दिनांक 08.12.2025 बेचान दिखाकर गलत रूप से खारिज किया गया है जिस कारण आलौच्य खारिज नामान्तकरण आदेश 3132 अपास्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित खारिज आदेश नामान्तकरण सं. 3132 दिनांक 08.12.2025 को निरस्त कर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण स्वीकृत कर तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के हक में नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर नामान्तकरण तस्दीक करें।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर गलत रूप से भूमि खसरा न. 1179/340 की मौके की सीमा नहीं होने का आधारहीन तथ्य दर्ज कर अनुचित रूप से खारिज किया गया है। अपीलान्ट के हक में मूल खातेदार द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र के जरिये भूमि का बेचान कर विक्रय पत्र

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पंजीबद्ध करवाने के रोज कब्जा सुपुर्द किया गया था। नामान्तकरण संख्या 3132 में वर्णित भूमि पर वैध रूप से विक्रय पत्र करवाने के रोज से अपीलान्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट ने गलत रूप से जमीन की पटवारी हल्का से जांच पड़ताल करवाकर व अन्य खसरा न. 340 का उल्लेख कर अनर्गल आधार दर्ज कर अनुचित रूप से पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार परी पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के हक में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 को कानूनन गलत खारिज किया गया है। जो कानूनन पोषणीय नहीं है इस कारण नामान्तकरण संख्या 3132 खारिज दिनांक 08.12.2025 अपास्त होने योग्य है। मूल नामान्तकरण परत में विवादित भूमि होना रेस्पोडेन्ट ने बिना किसी कारण के मानकर पटवारी से मौका रिपोर्ट संलग्न करने का आदेश देकर पटवारी हल्का से स्वयं के पदीय प्रभाव में नामान्तकरण 3132 में वर्णित भूमि 1179/340 की कोई सीमा मौके पर नहीं होने व अन्य भूमि खसरा न. 340 जो उक्त नामान्तकरण 3132 में सम्मिलित भूमि नहीं है उस भूमि के प्रकरण व स्थगन की रिपोर्ट पटवारी की मौका जांच रिपोर्ट में दर्ज करवाकर रेस्पोडेंट ने स्वयं के क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर बिना किसी न्यायोचित कानूनी आधार के अपीलान्ट के हक में दर्ज नामान्तकरण संख्या 3132 को जमाबंदी में निरस्त नामान्तकरण संख्या 3132 दिनांक 08.12.2025 बेचान दिखाकर गलत रूप से खारिज किया गया है जिस कारण आलौच्य खारिज नामान्तकरण आदेश 3132 अपास्त होने योग्य है। अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहसीलदार चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं द्वारा पारित खारिज आदेश नामान्तकरण सं. 3132 दिनांक 08.12.2025 को निरस्त कर अपीलान्ट के हक में नामान्तकरण स्वीकृत कर तहसीलदार चिड़ावा को आदेश दिया जावे कि अपीलान्ट के हक में नियमानुसार नामान्तकरण की कार्यवाही कर नामान्तकरण तस्दीक करें।

राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अदालत मातहत द्वारा विक्रय की गई भूमि विवादित होने से पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित किया है। जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण अदालत मातहत द्वारा विक्रय पत्र की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरकरण संख्या 3132 को भूमि का विवादित होना अंकित करते हुये दिनांक 08.12.2025 को निरस्त किया है। नामान्तरकरण विक्रय पत्र की पालना में दर्ज होना था चुंकि नामान्तकरण एक पालनार्थ कार्यवाही है। रजिस्टर्ड दस्तावेज की पालना में नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना आवश्यक है। साथ ही यदि मौके पर सीमा का विवाद है तो उस हेतु अलग से कार्यवाही की जानी चाहिए थी। हम अपीलान्ट के तर्को से सहमत है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के नामान्तरकरण संख्या 3132 आदेश दिनांक 08.12.2025 को निरस्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि पुनः सुनवाई कर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करें। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2026 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरुण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं